

>

Title: Need to bring Constitution (Amendment) Bill to repeal the Supreme Court Order dated 18.07.2013 regarding non-implementation of reservation policy in AIIMS and other Speciality and Super Speciality Institutes.

श्री पन्ना लाल पुनिया (बायबंकी): सभापति जी, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। यह विषय केवल दलित और आदिवासी से ही नहीं बल्कि ओबीसी से भी संबंधित है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के विषय में 18 जुलाई को एक आदेश पारित किया और यह कहा कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे संस्थान जो सुपर स्पेशलिटी से संबंधित हैं, उन संस्थानों में आरक्षण लागू नहीं होगा। इसी सदन में कई बार यह मामला उठाया गया। आदरणीय शरद यादव जी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी और दारा सिंह चौहान जी तथा बाकी सभी दलों के सदस्यों ने इस मामले को ऊपर उठाया और पूरे हाउस ने उसका समर्थन किया। जन-भावनाओं से सदन को अवगत कराया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश बिल्कुल गलत है और उसको निपूणावी करने का कोई न कोई उपाय करना चाहिए। जब यह मामला उठाया गया तो कानून मंत्री जी ने स्वयं यह आश्वासन दिया था कि हम पहले से जो आरक्षण प्रणाली चली आ रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं होने देंगे, वह यथावत चालू रखेंगे और उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि हम एक पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर रहे हैं तथा यह भी कहा कि हमारे सामने यह भी विकल्प है कि अगर यह नहीं होता है तो संविधान संशोधन लाया जाए। अभी इस सत्र के केवल दो दिन बचे हैं। हम उम्मीद कर रहे थे कि संविधान संशोधन का प्रस्ताव इस बीच में आएगा लेकिन अभी तक यह नहीं आ पाया है जबकि सभी दलों का समर्थन प्राप्त है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इन दो दिनों में यह प्रस्ताव आएगा।

यह बताने की भी आवश्यकता नहीं है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो अपने रिटायरमेंट के आखिरी दिन इस फैसले को सुनाते हैं। उस परिस्थिति से भी हम अच्छी तरह से अवगत हैं और वह आदेश जो जाते-जाते पारित किया गया, वह कई पृष्ठ हमारे सामने छोड़ जाता है। यह बात भी सामने आती है कि किस तरह से जजों की नियुक्ति की प्रणाली में बदलाव होना चाहिए। उसमें यह बात भी आती है कि जो वंचित समाज है, अनुसूचित जाति है, पिछड़ा वर्ग है, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको भी सही प्रतिनिधित्व देने के लिए कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए। आरक्षण की व्यवस्था हायर ज्यूडिशियरी में अवश्य होनी चाहिए। मैं इस बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन केवल एक मुद्दे पर अवश्य जोर देना चाहूंगा कि संविधान संशोधन इसमें आना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 18 जुलाई 2013 को आदेश पारित किया गया है, उसको निपूणावी करने के लिए संविधान संशोधन आए और यहां पर पारित हो। हमारा इतना ही निवेदन है।

सभापति महोदय : जो माननीय सदस्य उपरोक्त विषय से एग्रेसिव करना चाहते हैं, वे सदस्य तथा माननीय शैलेन्द्र जी, माननीय दारा सिंह चौहान आदि जो माननीय सदस्य इस विषय से अपने आपको एग्रेसिव करना चाहते हैं, वे कृपया लिखकर भेज दें। माननीय पी.एल.पुनिया जी ने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, लेकिन माननीय मंत्री जी की तरफ से सदन में जवाब आ चुका है कि जो आरक्षण व्यवस्था लागू थी, वह लागू रहेगी।

â€(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आपने कुछ कहा, उस पर मैंने कह दिया कि व्यवस्था है।

श्री शैलेन्द्र कुमार,

श्री कमल किशोर कमांडो,

श्री राजारामपाल और

श्री अशोक कुमार रावत श्री पी.एल.पुनिया के विषय से अपने आपको सम्बद्ध करते हैं।